न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर सूरतगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री कन्हैयालाल सोनगरा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 71/2024 GCMSNo. 2024/181

कल्पना उम्र 45 वर्ष पत्नी संतीश कुमार पुत्री श्री कृष्ण कुमार कौशिक जाति ब्राहम्ण साकिन हनुमानगढ टाउन हाल निवास वार्ड न. 03, नया वार्ड न. 15 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।

-- **वादिया**

-: बनाम् :-

1. अमृत कौशिक पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरयाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9828299430
2. भूपेन्द्र कौशिक पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9982040789
3. कुसुम गौड पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. हाल निवास तुलसी श्री कान्ता कथुरिया कॉलोनी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान, मो.न. 9413134562
4. सुमन गौड पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9413615675
5. प्रसून गौड पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9413727383

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. **श्री अर्जुन सिहं नरूका अधिवक्ता** -- **वादिया**
2. **श्री सजंय कुमार शर्मा अधिवक्ता** -- **प्रतिवादी संख्या 1 ता 5**

-:: निर्णय ::- दिनांक :- **27.08.2024**

वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादिया एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

यह कि वादिया व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार से सम्बंध रखते है, प्रतिवादी स. 1, 2 व 5 मिन वादिया के चाचा है, तथा प्रतिवादी स. 3 व 4 मिन वादिया की भुआ है मिन वादिया के पिता का नाम कृष्ण कुमार गौड है, जो प्रतिवादीगण के बडे भाई थे, जिनकी कालातंर मे मृत्यु हो चुकी है, मिन वादिया कृष्ण कुमार गौड की दत्तक पुत्री है, जिसका गोदनामा मिन वादिया के पिता कृष्ण कुमार कौशिक द्वारा अपने जीवनकाल में अपने पूर्ण होश हवास, खुशी व रजामंदी से रोबरू गवाहान पंजीकृत करवाया गया था, इसलिए मिन वादिया कृष्ण कुमार कौशिक की जायज संतान व वारिस है, मिन वादिया के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी तमाम सम्पति की वसीयत भी मिन वादिया के पक्ष में कर दी थी, इसलिए मिन वादिया उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सयुक्त परिवार की कानूनी सदस्य है, पूर्व में इस संयुक्त परिवार के मुख्या मिन वादिया के दादा मोतीलाल पुत्र भोलूराम थे, जिनकी कालातंर में मृत्यू हो चुकी है, तथा वादीया व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो परसपर सहयदायी व संहअंशदायी है।

मिन वादिया के दादा मोतीलाल पुत्र भोलूराम के नाम तहसील सूरतगढ के चक 11 एस.डी पटवार हल्का 13 एस.डी के खाता स. 113/76 के प.न. 112/394 के किला न. 11/2/.228, 20/2/.227, 21/2/.177, कुल 0.632 हैक. कमाण्ड, प.न. 112/395 के किला न. 1 की 0.253 हैक. कमाण्ड, प.न. 113/394 के किला न. 13, 14, 15/1/.227, 15/2/.026, 16/1/.227, 16/2/.026, 17, 18, 23/2/.202, 24/2/.202, 25/2/.177, 25/3/.025 की कुल 2.124 हैक. कमाण्ड मय खाला, प.न. 113/395 के किला न. 4 ता 7, 14/1/.151 की 1.163 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 4.172 हैक. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में 465/2086 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है।

मिन वादिया के दादा मोतीलाल के नाम वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें मिन वादिया का 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है मिन वादिया के पिता कृष्ण कुमार कौशिक ने उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की कृषि भूमि बाबत अपने जीवन काल में अपने पूर्ण होश हवास, खुशी व रजामंदी से एक वसीयत मिन वादिया के नाम रोबरू गवाहान कर दी थी मिन वादिया के पिता कृष्ण कुमार कौशिक की मृत्योप्रांत व वसीयत अनुसार उक्त कृषि भूमि में मिन वादिया के पिता कृष्ण कुमार कौशिक का तमाम हिस्सा मिन वादिया अपने नाम से करवाने की अधिकारीनी है, प्रतिवादी स. 1 ता 5 का भी उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है, इस प्रकार वाद पत्र की दफा 3 में मोतीलाल के नाम वर्णित कृषि भूमि में मिन वादिया अपने 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारीनी है व अपने को प्राप्त हिस्से मे से दादा मोतीलाल का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने की अधिकारीनी है ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से उपस्थिति होकर दिनांक दिनांक 23.08.2024 को उपस्थित होकर इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की पहचान श्री **श्री सजंय कुमार शर्मा अधिवक्ता** द्वारा किये जानें पर इकबालदावा तस्दीक किया गया।

उभयपक्ष द्वारा इकबालदावा के समर्थन में कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य इकबालदावा होनें पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09. 1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र या पुत्री को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

वादिया एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादिया एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये इकबालदावा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जाता है कि उभयपक्ष के मध्य हुए इकबालदावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित चक तहसील सूरतगढ के चक 11 एस.डी पटवार हल्का 13 एस.डी के खाता स. 113/76 के प.न. 112/394 के किला न. 11/2/.228, 20/2/.227, 21/2/.177, कुल 0.632 हैक. कमाण्ड, प.न. 112/395 के किला न. 1 की 0.253 हैक. कमाण्ड, प.न. 113/394 के किला न. 13, 14, 15/1/.227, 15/2/.026, 16/1/.227, 16/2/.026, 17, 18, 23/2/.202, 24/2/.202, 25/2/.177, 25/3/.025 की कुल 2.124 हैक. कमाण्ड मय खाला, प.न. 113/395 के किला न. 4 ता 7, 14/1/.151 की 1.163 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 4.172 हैक. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में 465/2086 हिस्सा कृषि भूमि में से वादिया के नाम 1/6 हिस्सा तथा तमाम प्रतिवादी स. 1 ता 5, प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा मोतीलाल पुत्र भोलूराम का नाम व हिस्सा कलमजन करवाने के अधिकारी है, तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है, उसी अनुसार खातेदार घोषित कर रकमराज अलग कायम की जाती है तथा शेष रकबा यथावत रखा जाता है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(कन्हैयालाल सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी :- श्री कन्हैयालाल सोनगरा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 71/2024 GCMS No. 2024/181

कल्पना उम्र 45 वर्ष पत्नी संतीश कुमार पुत्री श्री कृष्ण कुमार कौशिक जाति ब्राहम्ण साकिन हनुमानगढ टाउन हाल निवास वार्ड न. 03, नया वार्ड न. 15 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. राजस्थान।

-- **वादिया**

-: बनाम् :-

1. अमृत कौशिक पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरयाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9828299430
2. भूपेन्द्र कौशिक पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9982040789
3. कुसुम गौड पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. हाल निवास तुलसी श्री कान्ता कथुरिया कॉलोनी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान, मो.न. 9413134562
4. सुमन गौड पुत्री श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9413615675
5. प्रसून गौड पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन किरायाणा भंवन के पास हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ. राजस्थान, मो.न. 9413727383

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 27.08.2024

वादिया की ओर से **श्री अर्जुन सिहं नरूका अधिवक्ता**, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री **सजंय कुमार शर्मा अधिवक्ता एंव** श्री कन्हैयालाल सोनगरा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक तहसील सूरतगढ के चक 11 एस.डी पटवार हल्का 13 एस.डी के खाता स. 113/76 के प.न. 112/394 के किला न. 11/2/.228, 20/2/.227, 21/2/.177, कुल 0.632 हैक. कमाण्ड, प.न. 112/395 के किला न. 1 की 0.253 हैक. कमाण्ड, प.न. 113/394 के किला न. 13, 14, 15/1/.227, 15/2/.026, 16/1/.227, 16/2/.026, 17, 18, 23/2/.202, 24/2/.202, 25/2/.177, 25/3/.025 की कुल 2.124 हैक. कमाण्ड मय खाला, प. न. 113/395 के किला न. 4 ता 7, 14/1/.151 की 1.163 हैक. कमाण्ड इस प्रकार कुल 4.172 हैक. कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में 465/2086 हिस्सा कृषि भूमि में से वादिया के नाम 1/6 हिस्सा तथा तमाम प्रतिवादी स. 1 ता 5, प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा मोतीलाल पुत्र भोलूराम का

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नाम व हिस्सा कलमजन करवाने के अधिकारी है, तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है, उसी अनुसार खातेदार घोषित कर रकमराज अलग कायम की जाती है तथा शेष रकबा यथावत रखा जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 27.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(कन्हैयालाल सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सूरतगढ।